मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ...उपखण्ड अधिकारी... सिकराय ...(दौसा)...

रामभरोसी सरकार बनाम ...विमला व गैरह...

किस्म मुकदमा ...नामान्तरण अपील... मु0 नं0 ...10/20...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.9.24	पत्रावली पेश। अपील कर्ता पक्ष अधिवक्ता बी.के. गौड़ व अप्रार्थी पक्ष अधिवक्ता सुनील गुप्ता उपस्थित। बहस अपील सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 8.10.24 को पेश हो।	
8.10.24	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। अपील के तथ्यों व उभय पक्ष की बहस के कथनों पर गौर किया गया। अपील अनुसार ग्राम गण्डरावा में ग्राम पंचायत द्वारा दि. 20.12.2004 को ना.सं. 461, जो कि पंजीकृत बेचनामा 18.11.2004 के आधार पर खोला गया है, को विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलकर्ता पक्ष अनुसार दि. 18.11.04 में बेचान 1.10 बीघा के बजाय वास्तविक रूप से 1 बीघा का बेचान किया गया है तथा बसंती पत्नी बद्री (मृत्यु 2005) द्वारा कोई बेचान नहीं किया गया है। परन्तु पटवार व सरकार की प्रतियों की प्रविष्टियों में अंतर है। अप्रार्थी पक्ष (क्रेता पक्ष) अनुसार बसंती के स्थान पर उसके पुत्र रामभरोसी ने विक्रय दस्तावेज सम्पादित किया है। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि दस्तावेज के शीर्षक में गंगासहाय-घासी-प्रसादी पि. मल्ला व रामभरोसी पुत्र बद्री द्वारा ही बेचान किया गया है, न कि बसंती द्वारा। बेचान दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी भी उपरोक्त चारों की है तथा बेचान 1.10 बीघा भूमि का किया है। अतः नां.सं. 461 में बसंती W/o बद्री को विक्रेता दर्शित करते हुये नामान्तरण विधि विरुद्ध भरा गया है। **आदेश** नां.सं. 461 दि. 20.12.2004 को निरस्त करते हुये तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वो बेचनामा दि. 18.11.2004 के आधार पर शीर्षक में दर्शित चार बेचानकर्ताओं (गंगासहाय-घासी-प्रसादी पि. मल्ला व रामभरोसी पुत्र बद्री) द्वारा 1.10 बीघा बेचान मानते हुये क्रेता के पक्ष में पुनः नामान्तरण दर्ज करें। (रणजीत सिंह) 8.10.24	